

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

5/4/25

पत्राचार के अन्तर्गत वकील श्री अशोक कुमार  
कास का निवाला होने के कारण प्रा. पत्रा-  
चार पर औचित्यहीन है अतः प्रा. पत्रा-  
चार को डाकी लाने पर खर्च न किया जाय  
है प्रा. पत्राचार के अन्तर्गत प्रेषित दस्तावेज  
में से एक है।

सुरेश राव आर.ए.एस  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़